



**LATEST
EDITION**

राजस्थान REVENUE OFFICER

ग्रेड-2nd

& EXECUTIVE OFFICER ग्रेड- IVth
(R.P.S.C.)

HANDWRITTEN NOTES

भाग -3

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम - 2009,
1974 + योजनायें + राजव्यवस्था



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान

**REVENUE OFFICER
(2ND) GRADE &
EXECUTIVE OFFICER
(GRADE - IVTH)**

भाग - 3

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम - 2009, 1974

+ प्रमुख योजनायें + राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “**RPSC Executive Officer / Revenue Officer**” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “**RPSC Executive Officer / Revenue Officer**” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/x3seet>

Online order करें - <https://bit.ly/eo-ro-notes>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2022)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम -2009

Sr.No.	अध्याय	
1.	नगरपालिकाओं का गठन और शासन	1
2.	कार्य संचालन और वार्ड समिति	12
3.	नगरपालिका सम्पत्ति	16
4.	नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि	18
5.	नगरपालिका राजस्व	22
6.	नगरीय विकास और नगर योजना	30
7.	नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध	41
8.	अभियोजन, वाद आदि	57
9.	नियंत्रण	60
10.	राजस्थान नगरपालिका(सामान का क्रय और अनुबंध नियम-1974)	64
11.	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम -2009	65
12.	राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कृत्य नियम)	
	2009	67

13. राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं 69

- स्वच्छ भारत मिशन शहरी
- इंदिरा रसोई योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
- अमृत मिशन
- हृदय योजना
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
- इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

1. राज्यपाल	92
2. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	102
3. राजस्थान विधानसभा	112
4. उच्च न्यायालय	123
5. जिला प्रशासन	132
6. स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	139
7. राजस्थान लोक सेवा आयोग	150
8. राज्य मानवाधिकार आयोग	154

9. लोकायुक्त	157
10. राज्य निर्वाचन आयोग	161
11. राज्य सूचना आयोग	163
12. लोकनीति	167
13. विधिक अधिकार	170
14. नागरिक अधिकार - पत्र (घोषणा पत्र)	171
15. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011	175

राजस्थान नगरपालिका

अधिनियम -2009

अध्याय - 1

नगरपालिकाओं का गठन और शासन

संक्षिप्त नाम, प्रसार, और प्रारंभ -

1. इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 है।
2. इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।
3. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं :- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो -

- (1) 'संपरीक्षक' से राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है।
- (2) पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों से भिन्न, नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (3) 'तुलन' पत्र से धारा -92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत है।
- (4) 'जीव -चिकित्सा अपशिष्ट' से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव प्रदायकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है।
- (5) "बजट प्राक्कलन" से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है।
- (6) "बजट अनुदान" से किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृत्त शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों और उप - विधियों के उपबंधों के अनुसार

अन्य शीर्षों से या में अन्तर्ण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गयी बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है।

- (7) "भवन-निर्माता" या "विकासकर्ता" से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई काम्पलेक्स सनिनिर्मित किया है,
- (8) "भवन स्थल" से भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है।
- (9) **अध्यक्ष से अभिप्रेत है -**
 - (क) नगरपालिका बोर्ड के मामलो में अध्यक्ष ;
 - (ख) नगरपरिषद के मामले में सभापति ; और
 - (ग) नगरनिगम के मामले में महापौर ;
- (10) "मुख्य नगर पालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है-
 - (क) नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त ;
 - (ख) नगर परिषद के मामले में आयुक्त; और
 - (ग) नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी;
- (11) निगम -पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;
- (12) "पार्षद" से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है।
- (13) "कार्यपालक समिति से" धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;
- (14) "वित्तीय विवरण" से धारा 92के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है ;
- (15) "अग्निशमन दल" से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है।

नगरपालिकाओं का परिसीमन -

- (1) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगरपालिका घोषित कर सकेगी, या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेंगी या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेंगी या किसी भी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेंगी और जब -

(क) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाये, या

(ख) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित किया जाये, या

(ग) किसी नगरपालिका की सीमाओं को एक नगरपालिका के किसी अन्य नगरपालिका में समाहित करके या एक नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित करके परिवर्तित किया जाये,

(घ) कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगरपालिका न रहे।

- नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो -

इसका अर्थ है - राज्य सरकार

अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगरपालिका बोर्ड को विशेष उपबंध से छूट दी जा सकती है।

नगरपालिका की स्थापना।

1. संक्रमणशील क्षेत्रों में नगरपालिका बोर्ड
2. लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में, नगर परिषद
3. वृहत् नगरीय क्षेत्र में नगर निगम

Note - नगरपालिका ऐसे क्षेत्र में गठित नहीं की जा सकती जिसे राज्यपाल औद्योगिक नगर के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

तब राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध कर सकेगी कि -

(i) **खण्ड (क)** के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उसके अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह के भीतर किया जाना चाहिए।

(ii) **खण्ड (ख)** के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को, जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका में अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(iii) **खण्ड (ग)** के अधीन आने वाले किसी मामले में, ऐसी नगरपालिका जिसमें कोई अन्य नगरपालिका समाहित की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक, ऐसे अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगरपालिका समाहित की गयी है, सदस्य समझे जायेंगे और जहां कोई नगरपालिका दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गयी है।

(iv) **खण्ड (घ)** के अधीन आने वाले किसी मामले में, नगरपालिका को विघटित कर दिया जायेगा।

धारा - 5 नगरपालिका की स्थापना और निगम :-

(1) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जायेगी और जिसके प्रति निर्देश को नगरपालिका मानी जाती है, नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके नियमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक निगम की स्थापना की जायेगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है। नगर नियम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा उनकी सामान्य मुहर होगी तथा उसके नियमित नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

धारा - 6 नगरपालिका की संरचना :-

(1) उत्तरवर्ती उप - धाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, किन्तु इस उप - धारा के आगामी उपबंधों में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे, ऐसे स्थानों की

संख्या, जो तेरह से कम नहीं होगी, समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायेगी -

(क) नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या, यथास्थिति, नगरनिगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात् :-

- (1) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हों, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा का सदस्य : और
- (2) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति या नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का दस प्रतिशत इनमें से जो कम हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये :

परन्तु

- (1) धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले या नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे :
- (2) राज्य सरकार को किसी नामदिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहूत करने की शक्ति होगी :
- (3) नामदिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ख) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा,

नगरपालिका की संरचना

तीन प्रकार के सदस्य

1. निर्वाचित
2. मनोनीत - संख्या 6 या निर्वाचन का 10% जो भी कम हो - इनको मत देने का अधिकार नहीं है।

3. पदेन सदस्य MLA, MP - इस नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले - मत देने का अधिकार होता है।

आरक्षण

- (1) SC, ST कुल जनसंख्या के अनुपात में
- (2) पिछड़े वर्गों के लिए 21% से कम नहीं।
- (3) सभी वर्गों में कुल स्थान का 50% महिलाओं के लिए

यह आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनु. 334 में उल्लेखित आरक्षण की अवधि तक रहेगा।

पदावधि - (1) प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक

(2) अगर किसी नगरपालिका को समय से पहले विघटित कर दिया जाये तो नई नगरपालिका शेष अवधि के लिए कार्य करेगी।

धारा - 8 नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना।

नगर पालिका शासन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा।

(9) वार्डों का विभाजन :- (1) निर्वाचन के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है।

(10) वार्डों की अवधारणा :-

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित की अवधारणा करेगी :-

(क) वार्ड, जिनमें प्रत्येक नगरपालिका को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जायेगा।

सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह इसका सदस्य नहीं रहेगा।

- जब तक कि वह MLA/ MP / पंचायतीराज में अपने स्थान से पहले ही त्यागपत्र नहीं देता है।

धारा - 43 प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा :-

नगरनिगम - महापौर, उपमहापौर

नगरपरिषद - सभापति, उपसभापति

नगरपालिका बोर्ड - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

- नगरपालिका के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, OBC, महिलाओं, के लिए प्रावधानानुसार आरक्षित रहेंगे।
- आरक्षण प्रावधान - फैलाव सम्पूर्ण राज्य में होगा। अर्थात् SC / ST महिलाओं के लिए।
- यथासाध्य उन क्षेत्रों में स्थित होगी जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- यह आरक्षण प्रावधान, संविधान के अनु. 334 में विनिर्दिष्ट इस कालावधि की समाप्ति प्रभावी नहीं रहेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनुपस्थिति :-

- अगर 1 माह से अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित तो वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि नगरपालिका ने उसे अवकाश मंजूर न किये हो।
- अध्यक्ष के पद पर रिक्त होने के कारण यह पद 6 माह की अवधि में भरा जाएगा। नवीन अध्यक्ष शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा।
- राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में निर्वाचन तारीख को पूर्वोक्त कालावधि से आगे अधिकतम तीन माह बढ़ा सकती है।
- निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नाम यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

- नगर पालिका का अध्यक्ष नगरपालिका निधि से ऐसे मासिक भत्ते सुविधाएं प्राप्त करेगा जो निर्वाचित की जाये।

44. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता की अवधारणा :-

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देनी है तो उस नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है।

Note :- जिला न्यायाधीश, निर्वाचन याचिका को अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई तथा निपटारे के लिए हस्तांतरित कर सकता है।

45. प्रमुख नगरपालिका कृत्य :-

प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित कार्य करेगी :-

- लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, सफाई व्यवस्था आदि।
- सार्वजनिक मार्ग, भवनों आदि में रोशनी की व्यवस्था।
- आग बुझाना आदि संबंधित कार्य
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
- जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना।
- जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण के कार्य करना।
- कांजी हाउस का रख - रखाव करना।
- यातायात व्यवस्था करना।
- शैक्षणिक व खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना।

46. अन्य नगरपालिका कृत्य :-

- पर्यावरण संरक्षण
- लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- शिक्षा एवं संस्कृति के कार्य
- लोक कल्याण के कार्य

- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आदि।

47. सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य :-

राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगरपालिका के अन्य कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी।

48. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य :-

अध्यक्ष :-

- नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना।
- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना।
- नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी।
- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन।

49. अभिलेखों की अभिरक्षा सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य :-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा -

- किसी समिति व अध्यक्ष को सलाह देना।
- नगरपालिकाओं के लेखाओं की संप्रीक्षा / अभिरक्षा करना।
- नगरपालिका के दस्तावेज रख - रखाव के लिए उत्तरदायी।
- नगर पालिका की बैठक में कोई विशेष टिप्पणी।
- ऐसे अन्य कार्य करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर सौंपे जाए।

50. कार्यभार सौंपना :-

- अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर नहीं हैं तो अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को और

अगर उपाध्यक्ष नहीं हैं तो सदस्यों को सौंपा जा सकता है।

- उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष को और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों को सौंपा जा सकता है।
- सदस्यों का कार्यभार अध्यक्ष को और अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष को सौंपा जा सकता है।

अध्याय - 2

कार्य संचालन और वार्ड समिति

51. नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध

- नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक, साठ दिवसों के भीतर -भीतर एक बार होगी और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छह बैठकें होंगी और बैठक के कार्य का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो विहित की जाये।
- अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको नगरपालिका के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा, उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए जो प्रस्तावित किया जायेगा, हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है अधिकतम सात दिवस के भीतर की किसी तारीख को विशेष बैठक बुलायेगा।

52. व्यक्ति सदस्यों के अधिकार और विशेषधिकार :-

- नगर पालिका द्वारा सम्पत्ति नागरिक सदस्य पर सुझाव देना।
- नियमों के अधीन अध्यक्ष को प्रश्न पूछना।
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी के सम्यक नोटिस देने के पश्चात् बिना फीस नगरपालिका अभिलेख निरीक्षण।

53. अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव :-

- इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पदगृहण करने के एक वर्ष के भीतर - भीतर नहीं दिया जायेगा।
- यदि उप - धारा (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, कि तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

54. वार्ड समिति का गठन :-

- तीन लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गणित की जायेगी जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे।

प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे -

- (क) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य, और
- (ख) पांच से अनाधिक ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम से न हों और जो नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हों, नगरपालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (ग) वार्ड समिति, उप - धारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात उसके प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में उसकी प्रथम बैठक में, जहाँ वार्ड समिति में दो या दो से अधिक वार्ड हों, वहाँ उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगरपालिका में ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक निर्वाचन करेगी।
- (घ) अध्यक्ष का उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्र होगा।
- (ङ) अध्यक्ष, जैसे ही वह सदस्य ना रहे, अपना पद रिक्त कर देगा।
- (च) अध्यक्ष का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में वार्ड समिति रिक्त होने के पश्चात सुविधानुसार यथाशीघ्र उप धारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
- (छ) वार्ड समिति की अवधि नगरपालिका की अवधि की सह-विस्तारी होगी।
- (ज) गणपूर्ति-अध्यक्ष के साथ तीन सदस्यों से।

55. समितियाँ :- प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, जो निम्नलिखित से गठित होगी और उसमें निम्नलिखित अध्यक्ष होंगे

धारा - 198 सुख - सुविधाओं के रख - रखाव का उत्तरदायित्व लेना :-

- (1) ऐसी सुख - सुविधाओं की योजनाओं, विनिर्देशों और डिजाइनों सहित समस्त सुसंगत अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत न कर दिया जाये।
- (2) नगरपालिका का यह समाधान न हो जाये कि ऐसी सुख - सुविधाएँ इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार विकसित या संनिर्मित की गयी हैं।

परन्तु यदि नगरपालिका उसको प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की परीक्षा पर, या सुख - सुविधाओं के निरीक्षण पर यह पाती है कि सुख - सुविधाओं के संनिर्माण या प्रचालन में ऐसी कमियाँ हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है तो वह उस प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति से जिसने ऐसी स्कीम या कॉलोनी विकसित की है कमियों को नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में सुधारने या नगरपालिका को ऐसे कभी प्रभारों का संदाय करने की अपेक्षा करेगी।

199. अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना :-

कोई भी नगरपालिका, किसी भी अन्य प्राधिकारी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित की गयी किसी स्कीम या कॉलोनी का ग्रहण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएँ नगरपालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दी गयी हो, और अन्य मामलों में स्कीम या कॉलोनी, विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार न हो। नगरपालिका स्वयं स्वयं का यह समाधान भी करेगी कि विहित सुख - सुविधाएँ पहले से ही धारा 198 में उपदर्शितानुसार उपलब्ध करवा दी गयी हैं। या आवश्यक कमी - प्रभार संदत्त कर दिये गये हैं

अध्याय - 7

नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध

धारा -200 नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण

- नगरपालिका के भीतर समस्त मलनखियां, नलियां, शौचालय, फ्लश, शौचालयों, घरों की नलियां और मलकूप नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।
- समस्त ढकी हुई मलनलियों और नालियों तथा समस्त मलकूपों चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी के लिए नगरपालिका या अन्य व्यक्ति द्वारा जिनके वे पृथक पृथक स्वामित्व में हो, उचित जालियों या अन्य ढक्कनों या संवातन के संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

धारा 201 - गालियां आदि बनाने की शक्तियाँ

- नगरपालिका के भीतर किसी भी भूमि में उसमें से होकर या उसके नीचे से कोई नाली, मलनाली, नलिका सुरंग, पुलिया, पाइप या जलमार्ग ले जाना, नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।
- ऐसी किसी भूमि पर जिस पर नगरपालिका में निहित कोई नाली पहले से बनी हुई है प्रवेश कर सकेगा और विद्यमान नाली के स्थान पर नयी नाली बनवा सकेगा, अथवा नगर पालिका में निहित किसी नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।
- इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचायेगा जायेगा और ऐसे व्यक्ति जिसे ऐसी व्यक्ति को जिसे ऐसी शक्ति के प्रयोग से नुकसान हुआ हो, नगर पालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त तक किया जायेगा।

धारा 202 भवन से प्रभावी जल-निकास :-

- (1) किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का निर्माण करना या किसी नवनिर्मित या पुननिर्मित किये जाने वाले भवन को अधिभोग में लेना, तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा -

- (2) पूर्वोक्त रीति से बनायी जाने वाली नाली, नगरपालिका की नाली में या ऐसे स्थान में जो ऐसे भवन से पचास फुट से अधिक की दूरी पर स्थित न हो और जो-निकाय के निस्तारण के लिए विधिक रूप से नियत हो, गिरेगी किंतु यदि ऐसी दूरी के भीतर ऐसी नाली या स्थान न हो तो ऐसी नाली ऐसे मलकूप में गिरेगी जिसके लिए नगरपालिका निर्देश दें
- (3) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी प्रसाधन कक्ष, रसोई और स्नानघर अपशिष्ट जल के समुचित निस्तारण के लिए मल वहन प्रणाली के क्षेत्र से जैसे ही वह किसी अभिकरण द्वारा उस क्षेत्र में स्थापित की जाये, विहित रीति से संबंध प्राप्त करना किसी भी भवन या भूमि के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी के लिए आज्ञा पालन होगा।

धारा 203 - भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार :-

नगरपालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका की मल नालियों में गिराने का हकदार होगा बशर्ते कि वह पहले नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लें।

धारा - 204 मल व वर्षा-जल की नालियों का पृथक-पृथक होना -

- जब कभी अधिनियम में यह उपबंधित हो कि किसी परिसर के प्रभावी जल - विकास के लिए कार्यवाही की जाए तो नगरपालिका यह अपेक्षा कर सकेगी की एक नाली ध्रुणोत्पादक पदार्थ और मल के लिए हो और दूसरी नाली वर्षा-जल और अदूषित अधोमृदा-जल के लिए हो उसमें से प्रत्येक नाली नगरपालिका की पृथक-पृथक नालियों में या नगरपालिका द्वारा जल-निकास के निस्तारण के लिए अन्य स्थानों में या अन्य उपयुक्त स्थानों पर गिरे।

धारा 205 अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार :-

नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा

- यदि किसी भवन या भूमिका स्वामी या अधिभोगी, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दें कि वह किसी अन्य व्यक्ति की या उसके अधिभोग में या उपयोग में की किसी भूमि में होकर नाली बनाने से अन्यथा उसे नगरपालिका नाली से संसक्त नहीं कर सकता तो नगरपालिका ऐसे अन्य व्यक्ति को उस आवेदन के संबंध में कोई आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और यदि कोई आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये तो ऐसा आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये तो ऐसा आक्षेप नगरपालिका की राय में अपर्याप्त हो, लिखित आदेश द्वारा प्रथम वर्णित स्वामी या अधिभोगी को अपनी नाली उक्त भूमि में, उसमें से होकर, या उसके नीचे से या, यथास्थिति उक्त नाली में ले जाने के लिए किराये या प्रतिकार के संदाय के विषय में और उक्त नाली के रख-रखाव, मरम्मत फ्लशिंग, सफाई और खाली करने के अपने अपने उत्तरदायित्वों को विषय में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो उसे पर्याप्त और समतयुक्त प्रतीत हो, ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।
- नाली के संनिर्माण या उसे संसक्त करने के लिए, जैसा उक्त आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाये।
- आदेश के निबंधनों के अधीन उक्त नाली या उसके किसी भाग के रख-रखाव, मरम्मत, फ्लेसिंग उसकी सफाई या उसे खाली करने संबंधी उसके किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो
- ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में वह किया जाये या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए, उक्त भूमि या नाली के स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट प्रतिकार या किराया यदि कोई हो, देने या निविदत्त करने के पश्चात् और उक्त आदेश की शर्तों को यथासम्भव अन्यथा पूरी करने पर और उक्त स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी समय प्रवेश करने का युक्तियुक्त लिखित

राजस्थान का पहला छः लेन एक्सप्रेस हाइवे जयपुर-किशनगढ़ है। इस परियोजना के सप्तम चरण के तहत रिंग रोड़, बाईपास फ्लाईओवर आदि का निर्माण किया जाना है।

अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न

- कोई नगर पालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी ?
(A) करार द्वारा
(B) विनिमय द्वारा
(C) पट्टा एवं अनुदान द्वारा
(D) उपरोक्त सभी **ANS. (D)**
- नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौनसी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है ?
(A) धारा 69 A
(B) धारा 70
(C) धारा 23
(D) उपरोक्त सभी **ANS. (A)**
- नगरपालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदाय का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है ?
(A) राज्य सरकार
(B) केन्द्र सरकार
(C) नगरपालिका
(D) A एवं B दोनों **ANS. (C)**
- नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौनसी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है ?
(A) धारा 25
(B) धारा 17
(C) धारा 76
(D) धारा 69 **ANS. (C)**
- नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है ?
(A) केन्द्र सरकार
(B) राज्य सरकार
(C) नगरपालिका
(D) स्थानीय प्रशासन **ANS. (B)**
- अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगरपालिका के चुनाव सम्पन्न करवाते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा

ऐसा नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है ?

- (A) धारा 19
- (B) धारा 18
- (C) धारा 16
- (D) धारा 17

ANS. (A)

7. कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है ?

- (A) नगरपालिका अध्यक्ष
- (B) नगरपालिका उपाध्यक्ष
- (C) नगरपालिका मुख्य अधिकारी
- (D) नेता प्रतिपक्ष

ANS. (C)

8. नगरपालिका समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है ?

- (A) समिति के कम से कम 1/2 सदस्यों की सहमति से
- (B) समिति के कम से कम 1/3 सदस्यों की सहमति से
- (C) नगरपालिका अध्यक्ष की सहमति से
- (D) समिति के अध्यक्ष की सहमति से

ANS. (A)

9. नगरपालिका को पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है ?

- (A) धारा 64
- (B) धारा 65
- (C) धारा 60
- (D) धारा 66

ANS. A

10. अप्राधिकृत अस्थायी प्रकृति विकास का संक्षिप्तः हटाये जाने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 169
- (B) धारा 170
- (C) धारा 168
- (D) धारा 167

ANS. (B)

11. भूखंड के उपविभाग या पुनर्गठन या निधि मार्ग बनाने के लिए मंजूरी संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 175
- (B) धारा 176
- (C) धारा 177
- (D) धारा 171

ANS. D

12. नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति संबंधी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 179
- (B) धारा 180
- (C) धारा 181
- (D) धारा 177

ANS. (B)

(E)

13. किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के निर्माण या पुर्ननिर्माण करने पर कितने रुपये के जुर्माने का प्रावधान है ?

- (A) 1000 - 2000 रु
- (B) 5000 - 10000 रु
- (C) 2000 - 3000 रु
- (D) 2000 - 5000 रु

ANS. (D)

14. नगरीय विकास और नगर योजना के उपगत व्यय संबंधी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 170
- (B) धारा 171
- (C) धारा 173
- (D) धारा 172

ANS. (D)

15. परियोजनाओं और स्कीमों के बनाये जाने और उनकी विषयवस्तु संबंधी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया है ?

- (A) धारा 174
- (B) धारा 175
- (C) धारा 176
- (D) धारा 173

ANS (D)

16. नगरीय विकास के लिए बनी परियोजनाओं और स्कीमों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए किसको प्रस्तुत की जाती है ?

- (A) राज्य सरकार
 (B) कलेक्टर
 (C) नगरपालिका
 (D) स्थानीय निकाय का उपनिदेशक **ANS. (C)**

17. परियोजनाओं और स्कीमों के अनुमोदन के पश्चात राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के कितने वर्ष के भीतर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विफल रहने पर स्कीम व्यपगत हो जाती है ?

- (A) 2 वर्ष
 (B) 3 वर्ष
 (C) 5 वर्ष
 (D) 10 वर्ष **ANS. (A)**

18. परियोजना के उपांतरण और प्रत्याहरण संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 178
 (B) धारा 179
 (C) धारा 180
 (D) धारा 176 **ANS. (A)**

19. भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया है ?

- (A) धारा 181
 (B) धारा 183
 (C) धारा 182
 (D) धारा 184 **ANS. (C)**

20. जीव चिकित्सा अपशिष्ट से क्या अभिप्राय है ?

- (A) मानव शारीरिक अपशिष्ट
 (B) पशु अपशिष्ट
 (C) सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी
 (D) उपर्युक्त सभी **ANS. (D)**

21. अध्यक्ष से अभिप्रेत है ?

- (A) नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष
 (B) नगर परिषद् का सभापति

- (C) नगरनिगम महापौर
 (D) उपर्युक्त सभी **ANS. (D)**

22. मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है ?

- (A) नगरनिगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 (B) नगरपालिका का आयुक्त
 (C) नगरपालिका बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी
 (D) उपर्युक्त सभी **ANS. (D)**

23. वाणिज्यिक उपयोग के लिए बने कॉम्प्लेक्स से अभिप्राय है ?

- (A) पच्चीस या अधिक ईकाइयों से बना भवन
 (B) पचास या अधिक ईकाइयों से बना भवन
 (C) तीस या अधिक ईकाइयों से बना भवन
 (D) दस या अधिक ईकाइयों से बना भवन

ANS. (A)

24. उपाध्यक्ष से अभिप्राय है ?

- (A) नगरपालिका बोर्ड का उपाध्यक्ष
 (B) नगरपरिषद् का उपसभापति
 (C) नगरनिगम का उपमहापौर
 (D) उपर्युक्त सभी **ANS. (D)**

25. नगरपालिकाओं के परिसीमन करने की शक्ति प्राप्त है ?

- (A) राज्य सरकार
 (B) निर्वाचन आयोग
 (C) राज्यपाल
 (D) नगरपालिका **ANS. (A)**

26. किस संविधान संशोधन के माध्यम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ?

- (A) 72 वें
 (B) 73 वें
 (C) 74 वें
 (D) 76 वें **ANS. (C)**

27. नगरपालिका की पदावधि है ?

- (A) प्रथम बैठक से आगामी चुनाव तक
 (B) प्रथम बैठक से पाँच वर्ष तक
 (C) जब तक सदस्यों को विश्वास मत प्राप्त है
 (D) पदावधि निश्चित नहीं है **ANS. (B)**

28. नगरपालिका की अवधि की समाप्ति से पूर्व विद्यति नगरपालिका की पदावधि होगी ?

- (A) विद्यति नगरपालिका के बचे शेष समय के लिए
 (B) प्रथम बैठक से आगामी चुनाव तक
 (C) प्रथम बैठक से पाँच वर्ष तक जब तक सदस्यों को विश्वास मत प्राप्त हैं
 (D) पूरे पाँच साल तक **ANS. (A)**

29. नगरपालिका का शासन किसमें निहित हैं ?

- (A) नगरनिगम
 (B) नगरपालिका बोर्ड
 (C) नगरपरिषद्
 (D) उपर्युक्त तीनों में निहित हैं **ANS. (D)**

30. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किस अध्याय में नगरीय विकास और नगर योजना का प्रावधान किया गया है ?

- (A) अध्याय 9
 (B) अध्याय 10
 (C) अध्याय 11
 (D) अध्याय 12 **ANS. (B)**

31. नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना के तैयार करने संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया है ?

- (A) धारा 158
 (B) धारा 159
 (C) धारा 161
 (D) धारा 165 **ANS. (B)**

32. निष्पादन योजना को तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में समयावधि है ?

- (A) 10 वर्ष
 (B) 5 वर्ष
 (C) 15 वर्ष
 (D) 20 वर्ष **ANS. (D)**

33. योजना को तैयार करने और मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 166
 (B) धारा 165

(C) धारा 162

(D) धारा 160

ANS. (D)

34. योजना के प्रारूप लिए बनी सलाहकार समिति में निम्न में से कौन-कौन सदस्य शामिल होगा ?

- (A) नगरपालिका के समस्त सदस्य
 (B) उद्योग वाणिज्य और वृत्तियों संगमों के प्रतिनिधि
 (C) नगर के प्रमुख 6 नागरिक
 (D) उपर्युक्त सभी **ANS. (D)**

35. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में योजना के प्रवर्तन का प्रावधान है ?

- (A) धारा 168
 (B) धारा 160
 (C) धारा 163
 (D) धारा 161 **ANS. (B)**

36. योजना के प्रवर्तन के कितने साल के भीतर योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है ?

- (A) 5 वर्ष
 (B) 10 वर्ष
 (C) 15 वर्ष
 (D) 20 वर्ष **ANS. (B)**


37. विकास क्षेत्रों की घोषणा संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?

- (A) धारा 164
 (B) धारा 165
 (C) धारा 166
 (D) धारा 168 **ANS. (C)**

38. अप्राधिकृत विकास या योजना के असंगत उपयोग के लिए शास्ति (दण्ड) का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया है ?

- (A) धारा 168
 (B) धारा 170
 (C) धारा 167
 (D) धारा 172 **ANS. (C)**

39. अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए कितने रुपये के दण्ड का प्रावधान है ?



राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

अध्याय - 1

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -

- (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश -

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश -

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

पूंछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

सिफारिश -

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए।

राजमन्त्र आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्त्र

NOTE- सरकारी आयोग, राजमन्त्र आयोग व पूछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधों से है।

अनुच्छेद 156 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है। अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।
- राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है।

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।

2. यदि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा) तो भी उसे वेतन। पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा** दिलाई जाती है **राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।**

NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

		में बहुमत से समर्थन देने के बावजूद बखसित कर दिया।
--	--	---

Q. राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ?

- (a) 5 बार
(b) 3 बार
(c) 6 बार
(d) 4 बार
उत्तर - d

- अब तक चार राज्यपाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई हैं -

1. दरबारसिंह (वर्ष 1998)
2. निर्मलचंद्र जैन (वर्ष 2003)
3. शैलेंद्रकुमार (वर्ष 2009)
4. प्रभाराव (वर्ष 2010)

NOTE - श्रीमती प्रभाराव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।

- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **मदन लाल खुराना**
- दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **प्रतिभा पाटिल**
- राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं- **बलिराम भगत**
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बखसित किया गया- **रघुकुल तिलक**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल- **गुरुमुख निहाल सिंह**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल- **टी.वी. राजेश्वर**
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं।
- वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता

है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. के रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था।

राजस्थान के राज्यपालों की सूची -

क्र.	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	सवाई मानसिंह-11 (प्रथम राजप्रमुख)	30 मार्च, 1949 - 31 अक्टूबर, 1956
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	1 नवम्बर, 1956 - 15 अप्रैल, 1962
3.	डॉ. सम्पूर्णानंद	16 अप्रैल 1962 - 15 अप्रैल, 1967
4.	सरदार हुकुमसिंह	16 अप्रैल, 1967 - 19 नवम्बर, 1970
5.	जस्टिस जगतनारायण (कार्यवाहक)	20 नवम्बर, 1970 - 23 दिसम्बर, 1970
6.	सरदार हुकुमसिंह	24 दिसम्बर, 1970 - 30 जून, 1972
7.	सरदार जोगिन्द्र सिंह	1 जुलाई, 1972 - 14 फरवरी, 1977
8.	जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15 फरवरी, 1977 - 11 मई, 1977
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 - 8 अगस्त, 1981
10.	जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 1981 - 5 मार्च, 1982
11.	एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा	6 मार्च, 1982 - 4 जनवरी, 1985

12.	जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 - 31 जनवरी, 1985	23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	5 फरवरी, 1992 - 30 मई, 1993
13.	एअरचीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 फरवरी, 1985 - 3 नवम्बर, 1985	24.	श्री धनिक लाल मंडल (कार्यवाहक)	31 मई, 1993 - 29 जून, 1993
14.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवम्बर, 1985 - 19 नवम्बर, 1985	25.	श्री बलि राम भगत	30 जून, 1993 - 30 अप्रैल, 1998
15.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	20 नवम्बर, 1985 - 14 अक्टूबर, 1987	26.	सरदार दरबारा सिंह	1 मई, 1998 - 23 मई, 1998
16.	श्री वसन्तराव पाटिल	15 अक्टूबर, 1987 - 19 फरवरी, 1988	27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई, 1998 - 15 जनवरी, 1999
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20 फरवरी, 1988 - 2 फरवरी, 1989	28.	जस्टिस अंशुमान सिंह	16 जनवरी, 1999 - 13 मई, 2003
18.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	3 फरवरी, 1989 - 19 फरवरी, 1989	29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई, 2003 - 13 जनवरी, 2004
19.	श्री सुख देव प्रसाद	20 फरवरी, 1989 - 2 फरवरी, 1990	30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सितम्बर, 2003 - 13 जनवरी, 2004
20.	श्री मिला पचंद जैन (कार्यवाहक)	3 फरवरी, 1990 - 13 फरवरी, 1990	31.	श्री मदनलाल खुराना	14 जनवरी, 2004 - 31 अक्तूबर, 2004
21.	प्रो. देवीप्रसाद चटोपाध्याय	14 फरवरी, 1990 - 25 अगस्त, 1991	32.	श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)	1 नवम्बर, 2004 - 7 नवम्बर, 2004
22.	डॉ स्वरूप सिंह (कार्यवाहक)	26 अगस्त, 1991 - 4 फरवरी, 1993	33.	श्री मति प्रतिभा पाटिल	8 नवम्बर, 2004 - 23 जून, 2007

34.	डॉ ए. आर. किदवई (कार्यवाहक)	23 जून, 2007 - 5 सितम्बर, 2007
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	6 सितम्बर, 2007 - 9 जुलाई, 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई, 2009 - 22 जुलाई, 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह	23 जुलाई, 2009 - 24 जनवरी, 2010
38.	श्री मती प्रभाशव (कार्यवाहक)	03 दिसम्बर, 2009 - 24 जनवरी, 2010
39.	श्रीमती प्रभाशव	25 जनवरी, 2010 - 26 अप्रैल, 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रैल, 2010 - 11 मई, 2012
41.	श्रीमती मारपोट आलवा	12 मई, 2012 - 7 अगस्त, 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 2014 - 3 सितम्बर, 2014
43.	श्री कल्याणसिंह	8 सितम्बर, 2014- 8 सितम्बर, 2019
44.	श्री कलराज मिश्र	9 सितम्बर, 2019 से लगातार

प्रश्न:- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है ? (RAS. Pre. 2016)

- (A) ओ. पी. कोहली
(B) रामनरेश यादव
(C) राम नायक
(D) मार्गनेट अल्वा
उत्तर -(C)

प्रश्न:- गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था | (RAS. PRE- 2021)

- (1) 25 अक्टूबर, 1956 को
(2) 26 अक्टूबर, 1956 को
(3) 2 नवम्बर, 1956 को
(4) 1 नवम्बर, 1956 को
उत्तर - (4)

अभ्यास प्रश्न

1. राज्य के राज्यपाल को

- i. राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- ii. उसे सर्वे मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है।
- iii. उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है।
- iv. विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बँटवारे का अधिकार प्राप्त होता है।
उपर्युक्त में से सही कथन हैं-
A. i और ii
B. ii, iii और iv
C. i और iv
D. i, iii और iv
उत्तर (C)

2. कथन (A) राज्यों में मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है।
कारण (R) - भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य ' अपने विवेक में '

C. पंचायतीराज का निम्न स्तर ग्राम पंचायत , मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति व शीर्ष स्तर जिला परिषद कहलाता है ।

D. बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर , 1959 को नागौर से पंचायतीराज की शुरुआत हुई ।

उत्तर (A)

10. निम्नलिखित में से कौनसी एक समिति भारत में पंचायतीराज व्यवस्था से संबंधित है ?

A. तारकुंडे समिति

B. दिनेश गोस्वामी समिति

C. डी. टी. लकड़वाला समिति

D. दान्तेवाला समिति

उत्तर (D)

संस्थाएँ

अध्याय - 7

राजस्थान लोक सेवा आयोग

- वर्ष 1923 में ली कमिशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर राज्यों में लोक सेवा आयोग हैं । संविधान के भाग -14 , अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना नियुक्ति कार्यकाल , योग्यता सेवा शर्तों शक्तियों का उल्लेख किया गया है ।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोगों का गठन हुआ ।
- राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत- जोधपुर (वर्ष 1939), जयपुर (1940 में) , बीकानेर (वर्ष 1946 में) ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।
- रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त, 1949 को राजस्थान के तात्कालिक राजप्रमुख सवाई मानसिंह- II द्वारा एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो 20 अगस्त , 1949 को प्रभावी हुआ अर्थात् राजपत्र में प्रकाशित हुआ ।
- अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग की तरह कार्यरत अन्य संस्थाएं बंद कर दी गयी।
- अध्यादेश में आयोग के गठन, कर्मचारी गण एवं आयोग के कार्यों संबंधित नियम भी तय किये गये।
- अतः इसी दिन मूलत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई ।
- जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपना कार्य प्रारम्भ 22 दिसम्बर , 1949 को किया । राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन के समय मुख्यालय जयपुर था लेकिन पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 01 नवम्बर , 1956 को इसका मुख्यालय अजमेर स्थानान्तरित कर दिया ।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है , जिसका उल्लेख भाग- 14 , अनुच्छेद 315-323 में मिलता है ।

- यह एक परामर्शकारी / सलाहकारी निकाय है। यह निकाय राज्य सरकार को परामर्श देती है लेकिन राज्य सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- यदि राज्य सरकार RPSC की सलाह नहीं मानती तो राज्य सरकार को विधानमण्डल में इसका कारण बताना होता है।
- आरंभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य थे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष (कार्यवाहक) राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस. के. घोष को नियुक्त किया गया।
- तत्पश्चात श्री देवी शंकर तिवारी एवं श्री एन.आर. चन्द्रोरकर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में एवं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गयी।
- लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल मनाया जाता है।

अनुच्छेद 315 राज्य लोक सेवा आयोग के गठन अनुच्छेद 315 (1) प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग (PSC) होगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा गठन के लिए विधि राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई जायेगी।

अनुच्छेद 315 (2) संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) का प्रावधान दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद करती है, संबंधित राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर।

अनुच्छेद 316 अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह से करता है।

NOTE-संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

योग्यता :- RPSC के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो तथा आधे सदस्य सामान्यतः राजनैतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं।

NOTE-आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

NOTE- यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे राज्यपाल नियुक्त करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक नये अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाये अर्थात् राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

NOTE- संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

प्रश्न:- सही विकल्प चुनें :

दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?

- सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा
 - भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
 - सभी सम्बंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा
 - सम्बंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
- उत्तर - (B)

पदावधि या कार्यकाल- RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पदग्रहण से 6 वर्ष का कार्यकाल व 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु इन दोनों में से भी पहले हो। (41 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई)

लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। त्यागपत्र RPSC के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।

अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कारण कदाचार का आरोप लगने पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच (अनुच्छेद 145) करने के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा।

NOTE- RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को जाँच के दौरान राज्यपाल निलम्बित कर सकता है। कदाचार के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। (i) दिवालिया घोषित हो जाए। (ii) मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो। (iii) नैतिक अधमता का दोषी पाया जाए। (iv) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है अर्थात् लाभ का पद स्वीकार कर लें। (v) अपने कर्तव्य से बाहर किसी और सेवा में नियोजित हो जाये।

अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

RPSC की स्थापना के समय एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे लेकिन वर्ष 2011 में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य (कुल 8) कर दिये अर्थात् वर्तमान में RPSC में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। RPSC में सदस्यों की संख्या राज्यपाल नियम बनाकर निश्चित करता है।

अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।

अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य

- (1) राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन।
- (2) लोक सेवकों के पदोन्नति हेतु सिफारिश
- (3) अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना।
- (4) एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण होने पर परामर्श देने का कार्य।
- (5) लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में।
- (6) पेंशन के संबंध में क्षतिपूर्ति के मामलों में परामर्श।

अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति

राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।

अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन - भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

अनुच्छेद 323 राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) राज्यपाल को सौंपता है। यह प्रतिवेदन शोध संभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

प्रश्न:- राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है - (R.A.S. PRE- 2021)

(1) राज्यपाल के समक्ष
(2) विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष
(3) राष्ट्रपति के समक्ष
(4) मुख्य सचिव के समक्ष

- उत्तर - (1)

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

VDO Pre. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (1 st शिफ्ट)	95 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (1 st शिफ्ट)	56 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें।

नोट्स खरीदने के लिए WhatsApp करें ↓

<https://wa.link/x3seet>

नोट्स Online order करें ↓

<https://bit.ly/eo-ro-notes>